न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 56/10 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2010/00073

उनवान

भरत पुत्र श्री मवासी, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1. मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान मन्दिर ग्राम जघीना जरिये संरक्षक तहसीलदार, भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स/वादी

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 312/08 बउनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 312/08 बउनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट मूर्ति की तरफ से संरक्षक लक्ष्मण सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 6550, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6574 किता 9 रकबा 1.38 हैक्ट0 वाके ग्राम जघीना–4 तहसील भरतपुर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज की कब्जे व खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात कागजात पटवार को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी वाहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी आराजी मुतदाविया वर्णित खण्ड सं. ''अ'' प्रार्थना में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करे एवं वादी मूर्ति के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे और आराजी मुत0 को खुर्द–बुर्द, रहन–बय–मुन्तकिल न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2010 को निर्णय पारित कर दावा वादी स्वीकार कर आंशिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार उपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में कानूनी भूल की है। तनकी सं. 1 का निर्णय वहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णीत की गई है प्रतिवादी द्वारा तनकी सं. 4 के समर्थन में पूर्व दावा, अपील, राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसमें मूर्ति गोपाल की जमीन भाग अंकित किया है और प्रतिवादी को खातेदार होना बतलाया है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की साक्ष्य पर भरोसा न करते हुये निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने अपनी स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है परन्तु प्रतिपरीक्षण में मंदिर की सेवा पूजा करने से इंकार किया है तथा प्रतिवादी द्वारा ही सेवा पूजा किया जाना व प्रबंध किये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मंदिर गोपाल जी द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में पूर्व में भी दावा किया जो उनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी वगै. न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में प्रस्तुत किया गया उक्त दावा दिनांक 18.01.1996 को निरस्त हुआ। एक अपील मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज ने उनवानी मूर्ति गोपाल जी बनाम मवासी न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत की गई, उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.12.1991 को निरस्त फरमा दी गई तथा एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी चली थी जो निरस्त फरमा दी गई उक्त निर्णयों में भी विवादित आराजीयात का प्रतिवादी अपीलान्ट को खातेदार माना जा चुका है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा न कर कतई ध्यान न देकर विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 6 का कोई निर्णय पारित नहीं किया है और न ही तनकी सं. 6 पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान दिया है। तनकी सं. 6 के बिना निस्तारण किये आदेश्श व डिक्री पारित किया है जो काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट तहसीलदार भरतपुर ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल जमाबन्दी वाके ग्राम जघीना नं. 3 में आराजी खसरा नम्बर 6550/0.30, 6558/0.05, 6564/0.10 किता 3 रकबा 0.45 भरतलाल पुत्र मवासी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. जघीना खातेदार रहन पीएनबी दर्ज रिकार्ड है एवं हाल खसरा नम्बर 6559/0.57, 6560/0.01, 6561/0.06, 6563/0.14, 6574/0.06 किता 5 रकबा 0.84 मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज हि. पूर्ण सा. जघीना खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा हाल खसरा नम्बर 6562/0.08 मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज हि. 387/484 सा. जघीना खातेदार किरनदेई पत्नी पूरन सिंह हि. 97/484 जाति जाट सा. जघीना खातेदार राहिन पी.एनबी जघीना दर्ज रिकार्ड हैं उपरोक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोवस्त में मवासी पुत्र सायरे जाति ब्रा. सा.देह खातेदार दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रिकार्ड है। हाल खसरा नम्बर 6550/0.30 साबिक खसरा नम्बर 3120, 3121, 3122, 3123 से तथा हाल खसरा नम्बर 6558/0.05 साबिक खसरा नम्बर 3125मिन, 3124 मिन से हाल खसरा नम्बर 6559/0.57 साबिक खसरा नम्बर 3157मिन, 3152, 3159 मि. एवं हाल खसरा नम्बर 6560/0.01 साबिक खसरा नम्बर 3159 मि. से एवं हाल खसरा नम्बर 6561/0.06 साबिक खसरा नम्बर 3159 मि., 3162 मि. से एवं हाल खसरा नम्बर 6562/0.08 साबिक खसरा नम्बर 3160, 3162मि. से एवं हाल खसरा नम्बर 6563/0.14 साबिक खसरा नम्बर 3161, 3163 से एवं हाल खसरा नम्बर 6564/0.10 साबिक खसरा नम्बर 3155मि. 3156मि. एवं 3157 से एवं हाल खसरा नम्बर 6574/0.06 साबिक खसरा नम्बर 3157मि. से बने है। जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2012 वाके ग्राम जघीना नं. 1 में साबिक खसरा नम्बर 3120, 3121, 3122, 3123, 3125 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा बलराम दास चैला गोपालदास कौम ब्राह्मण सा.देह माफीदारान देन जिमीदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। व जमाबन्दी कालम 10 में खारिज बांछ वऐवज पुन्यार्थ दर्ज हैं तथा जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 वाके ग्राम जघीना नं. 4 में साबिक खसरा नम्बर 3157, 3161, 3162, 3163, 3158, 3159, 3160 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा मवासीराम चेला गोपालदास कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है व जमाबन्दी कालम सं. 10 में जमीं जागीर दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 6550/0.30, 6558/005 किता 2 रकबा 0.35 जो साबिक खसरा नम्बर 3120, 3121, 3122, 3123, 3125 से बने हैं जमाबन्दी सम्वत 2009–2012 में अंकित अनुसार जमीदारान द्वारा लगान के बिना वऐवज पुन्यार्थ दिये थे। जो कि मूर्ति गोपाल जी महाराज को दिये थे। जिसके अहतमाद सेवादार बलराम दास चेला गोपालदास कौम ब्रा. में था। जिसने उक्त आराजी को अपने नाम गलत दर्ज करा लिया। अतः उक्त आराजी से बलराम दास नाम कलमजन किया जाना व मूर्ति गोपाल जी महाराज विरासतान के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित रहेगा। साबिक खसरा नम्बर 3157, 3161, 3162, 3163, 3158, 3159, 3160 जो जमीं जागीर थी जिसको मूर्ति गोपाल जी महाराज को दी गई थी लेकिन इसके अहतयाय सेवादार मवासीराम ने अपने नाम करा लिया था। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 6559/0.57, 6560/001, 6561/006, 6562/008, 6563/014, 6564/010, 6574/006 बने हैं जिन पर माननीय न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर भरतपुर ने निर्णय दिनांक 11.06.2010 में प्रतिवादी मवासी का नाम कलमजन करने व मूर्ति गोपाल जी महाराज के नाम खातेदारी चढ़ाने के आदेश पारित हुए हैं। उक्त माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.06.2010 को उक्त आराजी पर यथावत रखना विधिसम्मत व न्यायोचित है।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 12.07.2010 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तनकी सं. 2 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी से वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकी सं. 3 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करापाने का आकिारी है।

तनकी सं. 4 :– आया इसी जमीन का एक दावा व अपील पूर्व में खारिज हुये है? दावा वादी मैन्टेनेबिल नहीं है।

तनकी सं. 5 :– आया आराजी प्रतिवादी के भाई गोपालदास की है? मन्दिर गोपाल जी की नहीं है।

तनकी सं. 6 :– आया दावा वादी आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के तहत काबिल खारिजी के है।

तनकी सं. 7 :– आया देवस्थान विभाग ने वादग्रस्त मन्दिर को प्रतिवादी का प्राईवेट मन्दिर माना है।

तनकी सं. 8 :– दादरसी

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 5 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त दोनों तनकीयात एक दूसरे से सम्बन्ध रखती है अतः दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादी ने दावे में अनुतोष चाहा है कि विवादित आराजी पर उसको खातेदार घोषित किया जावे। वादी ने अपने दावे की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य में नफ माफी रजिस्टर पेश किये है। जिसके अनुसार पुन्यार्थ मंदिर गोपाल जी जघीना को वदस्तूर वागुजर जमीन दी गई है। सम्वत 2009 लगायत 2012 की नकल जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 3157, 3161, 3159, 3160, 3158 पर गोपालदास चेला काशीराम माफीदार देनराज खुद काश्त मकबूजा माफीदार दर्ज है तथा सम्वत 2033–2036 की नकल जमाबंदी में मवासीराम चेला गोपालदास साबिक आराजी खसरा नम्बर 3157, 3161, 3162, 3163, 3158, 3159, 3160 किता 7 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा दर्ज है मिलान क्षेत्रफल के आधार पर उक्त नम्बरों के हाल खसरा नम्बर 6559/0.57, 6560/0.01, 6561/0.07, 6562/0.08, 6563/0.14, 6574/0.07 जिनका रकबा साबिक रकबे से 0.05 एयर अधिक है, बने है। जिसपर मवासी पुत्र सामरे खातेदार हाल जमाबन्दी में अंकन है। उक्त जमीन प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी की होना सिद्ध है। हाल जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बरान 6550/0.30, 6558/0.05, 6564/0.10 कीब बाबत वादी ने कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये है। अतः यह जमीन प्रतिवादी मवासी की मानी जाने योग्य है। प्रतिवादी का यह कथन की आराजी मुत0 मन्दिर की ना होकर प्रतिवादी के भाई गोपाल दास की है। इस बाबत वह कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा है। इसलिये उसकी यह बात मान्य नहीं है। वैसे भी मूर्ति की माफी की आराजी पर कोई भी व्यक्ति काश्त करे वह काश्त उसकी नही मानते हुये मूर्ति की काश्त मानी जावेगी। इसलिये काश्त की वजह से उसके आधार पर मूर्ति की माफी की आराजी किसी को खातेदारी अधिकार देय नही हो सकते। जैसाकि RRD 1984 P 1 (LB), RRT 2009(1) P. 173] RRT 2002(1) P. 82 के निर्णयों में लिखा गया है। अतः तनकी सं. 1 आंशिक रुप से वादी के हक में निर्णीत की जाती है तथा तनकी सं. 5 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 व 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में गवाह के रुप में लक्ष्मण पुत्र सूखीराम, पी.डब्लू–1, सोहनलाल पुत्र श्री सूखा, पी.डब्लू–2, हुकम सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह पी.डब्लू–3 का शपथ–पत्र पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया है लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा गवाह श्री लक्ष्मण पुत्र सूखीराम पी.डब्लू–1 से जिरह की गई है एवं R.O.A.C किया गया। किन्तु गवाहान पी.डब्लू–2 व पी.डब्लू–3 द्वारा पेश शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ नहीं है एवं ना ही इनसे जिरह की गयी है। इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा गवाह के रुप में भरतसिंह पुत्र मवासी डी.डब्लू–1 का शपथ पत्र भी पेश किया गया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह डी.डब्लू–1 से भी जिरह की गई है एवं R.O.A.C किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम जघीना–4 तहसील भरतपुर एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए है एवं ना ही उक्त दस्तावेज को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :–

208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवायः–
(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,
(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा
(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब वे न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2010 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल (भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उपर्युक्त विवेचन के क्रम में पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट् द्वारा अपील स्तर पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत निम्न दस्तावेज पेश किए गए :–

1. नकल निर्णय जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.05.2011
2. नकल अपील मूर्ति गोपाल जी बनाम भरत, न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर
3. नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2069 एवं सम्वत 2064 से 2067 ग्राम जघीना नं. 3 तहसील व जिला भरतपुर।
4. नकल निर्णय न्यायालय श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर 09.02.2021
5. नकल सत्यप्रतिलिपि आर्डर सीट दिनांक 19.06.2023 एवं अपील मीमों धारा 6 भू–राजस्व अधिनियम उनवानी प्रकरण मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी महाराज बनाम भरत न्यायालय श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर।
6. नकल जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 ग्राम जघीना सं. 4 तहसील भरतपुर, बाबत खाता सं. 205
7. नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जघीना तहसील भरतपुर।
8. नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2017 ग्राम जघीना नं. 4 तहसील व जिला भरतपुर।
9. नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2012 ग्राम जघीना तहसील भरतपुर।

न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 17.04.2025 से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी के तहत पूर्व में मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान मंदिर ग्राम जघीना जरिये संरक्षक लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखीराम लोधा निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर को संरक्षक के रुप में पक्षकार बनाया गया था एवं उसकी मृत्यु होने के कारण उसी के वारिसान को वादमित्र नियुक्त कराना चाहा था जिसे उचित नहीं मानने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया एवं मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान मंदिर ग्राम जघीना के हितों की रक्षा हेतु वादमित्र के रुप में तहसीलदार भरतपुर को वादमित्र/संरक्षक नियुक्त किया गया। तहसीलदार भरतपुर को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.04.2025 से पूर्व दस्तावेजात का रिबटल पेश करने का मौका नहीं मिला है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण एवं तहसीलदार भरतपुर संरक्षक मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान मन्दिर ग्राम जघीना को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं होने से उक्त तनकीयों का निर्णय पुनः नये सिरे से किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

यह तनकी वादी को सिद्ध करनी थी। वादी अपने दावे में यह कहकर चला है कि प्रतिवादी मूर्ति की पूजा–सेवा भोगराग, मरम्मत मन्दिर आदि खर्चे फसल की आय से नही करते अपने ऊपर खर्च करते है। गांव वालों को फटकारता रहता हैं परन्तु इसकी पुष्टि में उसने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिये यह तनकी व खिलाफ वादी तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि तनकी सं. 1 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है उसी अनुसार तनकी सं. 2 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ टी.आई. जारी करने बाबत है। जब तनकी सं. 1 ही वादी के हक में निर्णीत की जा चुकी है तो यह तनकी भी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 1 के विवेचनानुसार इस तनकी का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4,6,7 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त तनकीयां प्रतिवादी के द्वारा साबित की जानी थी परन्तु उसने कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जिनसे यह माना जा सके कि दावा मैन्टेनेबिल नहीं है। अतः तीनों तनकीयां प्रतिवादी के खिलाफ निर्णीत की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4,6,7 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

उक्त तनकीयों का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः किया जाना वांछनीय है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकी संख्या 1 में वर्णित न्यायालय हाजा द्वारा विवेचित प्रक्रियात्मक कानून की पालना करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें।
10. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर